

Indiabulls

HOUSING FINANCE

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001

CIN: L65922DL2005PLC136029

Email: homeloans@indiabulls.com, Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240

Website: <http://www.indiabullshomeloans.com/>

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Compulsory Transfer of Equity Shares of the Company to DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) had notified the "Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016" ("the Rules") which have come into force from 7th September, 2016, providing for transfer of the Equity Shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more to the IEPF Authority.

The Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2017 have been notified by MCA on 28th February, 2017 and 13th October, 2017 respectively ("the Amended Rules") providing for transfer of Equity Shares to the specified DEMAT Account of IEPF Authority. As per the Amended Rules, the due date for transfer of Equity Shares shall be deemed to be 31st October, 2017. The Company had communicated individually the concerned Shareholders that all Shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by them for seven consecutive years from the Financial Year 2008-09 onwards shall be transferred to IEPF Account.

The Unpaid/Unclaimed Dividend for the Financial Year 2008-09 and 2009-10 has been duly transferred to IEPF Account. The Unpaid/Unclaimed Interim Dividend for the Financial Year 2010-11 had also become due for transfer on November 25, 2017 and the same would be transferred in due-course. All shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years from the Financial Year 2008-09 onwards shall simultaneously, be transferred to Demat Account of IEPF Authority, in respect of which, individual notice had also been sent to concerned Shareholders.

NOTICE IS HEREBY GIVEN:

That the Company will proceed to initiate action for transfer of all such shares to the DEMAT Account of IEPF Authority within 30 days from the due date i.e. 31st October, 2017, without any further notice in this regard. As per the Amended Rules, the concerned Shareholders holding the Shares in physical form and whose Shares are liable to be transferred to IEPF, may please note that the Company would be issuing new Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) held by them for the purpose of conversion into DEMAT form and subsequent transfer in DEMAT Account opened by the IEPF Authority with the Depositories. Upon such issue, the Original Share Certificate(s) issued to the concerned Shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Further, the concerned Shareholders who are holding Shares in demat form, may please note that the transfer of Shares in DEMAT Account of the IEPF Authority as Indicated hereinabove will be effected by the Company through the respective Depository by way of Corporate Action. The Company has uploaded complete details of such Shares on its website: <http://www.indiabullshomeloans.com/> which shall be deemed to be adequate notice for the purpose of share transfer to DEMAT Account of IEPF Authority.

Any further Dividend on such shares shall be credited to the IEPF Account. The concerned Shareholders may further note that upon credit of such shares to the said DEMAT Account, no claim shall lie against the Company in respect of the Unclaimed Dividend amount and such Shares transferred to IEPF Account. However, Shareholders may claim back the Shares credited along with the Unclaimed Dividend amount from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Rules. The procedure for claiming the same is available at www.mca.gov.in and www.iepf.gov.in.

For any information / clarifications on this matter, concerned Shareholders may write to the Company at helpdesk@indiabulls.com or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent – M/s Karvy Computershare Private Limited (Unit: Indiabulls Housing Finance Limited), Karvy Selenium Tower 8, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, Email: einward.ris@karvy.com.

By Order of the Board
For **Indiabulls Housing Finance Limited**

Sd/-

Place: New Delhi

Amit Jain

Date: November 23, 2017

Company Secretary

Indiabulls HOUSING FINANCE

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंजिल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
सीआईएन : L65922DL2005PLC136029
ई-मेल : homeloans@indiabulls.com दूरभाष : 0124-6681212
फैक्स : 0124-6681240 वेबसाइट : http://www.indiabullshomeloans.com/

शेयरधारकों को सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण फंड (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में अनिवार्य स्थानांतरण

इक्विटी शेयरों का स्थानांतरण, जिसके बारे में लाभांश का भुगतान पिछले सात वर्षों में नहीं किया गया है या लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा नहीं किया गया है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम 2016 (नियम) को सूचित किया था जो 7 सितम्बर, 2016 से लागू हुए हैं।

आईईपीएफ प्राधिकरण के निर्दिष्ट डीमैट खाते में इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए क्रमशः 28 फरवरी 2017 तथा 13 अक्टूबर, 2017 को एमसीए द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) संशोधन नियम, 2017 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) दूसरे संशोधन नियम, 2017 को अधिसूचित किया गया है, संशोधित नियमों के अनुसार, इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2017 मानी जाएगी। कंपनी ने व्यक्तिगत रूप से संबंधित शेयरधारकों को सूचित किया था कि जिन सभी शेयरों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2008-09 के बाद लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या उनके द्वारा दावा नहीं किया गया है, वो शेयर आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिए जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए न चुकाया हुआ / बेदावा लाभांश को विधिवत आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 का न चुकाया हुआ / बेदावा अंतरिम लाभांश भी 25 नवम्बर 2017 को हस्तांतरणीय हो गया है तथा नियत समय पर हस्तांतरित कर दिया जायेगा। जिन सभी शेयरों के संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या वित्तीय वर्ष 2008-09 से लगातार सात वर्षों के लिए दावा नहीं किया गया है, साथ ही आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

नोटिस दिया जाता है -

कि कंपनी इस संबंध में किसी भी अन्य नोटिस के बिना 31 अक्टूबर, 2017 को देय तिथि से 30 दिनों के भीतर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट अकाउंट में ऐसे सभी शेयरों के हस्तांतरण के लिए कार्यवाही शुरू कर देगी। संशोधित नियमों के अनुसार, शेयरधारकों को भौतिक रूप में रखने वाले शेयरधारकों और जिनके शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जा सकता है, कृपया ध्यान दें कि कंपनी मूल शेयर प्रमाण पत्र के बदले नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी डीमैट के रूप में रूपांतरण के उद्देश्य से और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरण के उद्देश्य से इस तरह के मुद्दे पर, संबंधित शेयरधारकों को जारी किए गए मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से रद्द कर दिए जाएंगे और उन्हें गैर-परक्राम्य समझा जायेगा। इसके अलावा, संबंधित शेयरधारकों, जो डीमैट फॉर्म में शेयर धारण कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें कि, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों का अंतरण इस प्रकार के रूप में इंगित किया गया है कि कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से प्रभावी होगा। कंपनी ने अपनी वेबसाइट <http://www.indiabullshomeloans.com/> पर इस तरह के शेयरों का पूरा विवरण अपलोड किया है जो आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयर अंतरण के उद्देश्य के लिए पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

ऐसे शेयरों पर कोई भी लाभांश आईईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा। संबंधित शेयरधारक आगे यह नोट कर सकते हैं कि, ऐसे शेयरों के उक्त डीमैट खाते में जमा होने पर तथा दावा न किए गए डिविडेंड राशि के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा और आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित ऐसे शेयर आईईपीएफ नियमों के तरह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा न किए गए डिविडेंड राशि के साथ हस्तांतरित शेयरों का दावा कर सकते हैं। यह दावा करने की प्रक्रिया www.mca.gov.in और www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

इस मामले पर किसी भी जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक कंपनी को helpdesk@indiabulls.com पर लिख सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं - मैसर्स कार्बी कंप्यूटर्स हियर प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट - इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड), कार्बी सेलेनियम टॉवर प्लॉट 31-32, गचिबोली वित्तीय जिला, नानरलगुडा, हैदराबाद - 500032 ईमेल einward.ris@karvy.com.

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड

सही/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 नवम्बर 2017

अमित जैन
कंपनी सचिव